Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

अप्रैल 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

01/04/2024 से 07/04/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत	1 - 6
2.	पीएम सोलर रूफटॉप योजना	6 - 10
3.	भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च 2024	11 - 16
4.	भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केंद्र – राज्य संबंध	16 - 23
5.	वीवीपीएटी बनाम मतों की पुनर्गणना एवं मत – सत्यापन	23 - 30
6.	इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष और अमेरिका की भूमिका	30 - 34

करंट अफेयर्स
अप्रैल 2024

जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत

Yojna IAS

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – जल संरक्षण, भारत में जल संकट और नागरिक जनजीवन, सतत विकास, विश्व जल दिवस 2024, वर्षा जल संरक्षण, प्रबंधन एवं संवर्धन, कैच द रेन अभियान

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार – दक्षिण भारत के सभी जलाशयों में कुल जल धारण क्षमता का मात्र 23 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। यह आवर्ती दशकीय औसत से नौ प्रतिशत अंक कम है जो भारत में जल संकट की भयावहता को बताता है।
- केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के पूर्व भी वर्ष 2017 में दक्षिण भारत को गर्मियों में जल संकट का सामना करना पड़ा था। इस वर्ष जल संकट की समस्या कुछ अन्य कारणों से अलग और बदतर होने की ओर अग्रसर है।
- कर्नाटक के 236 तालुकों में से 223 सूखे से प्रभावित हैं, जिनमें बेंगलुरु के पानी के स्रोत मांड्या और मैसूरु जिले भी शामिल हैं।
- भारत में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, आने वाले महीनों में कर्नाटक भर के लगभग 7,082 गांवों में पीने के पानी का संकट पैदा होने का खतरा है।

- भारत की मानसून विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। जिसमें से एक प्रमुख कारक अल – नीनो है जिसने भारतीय मानसून को और अधिक अनियमित बना दिया है।
- वर्ष 2014-16 में अल नीनो – की घटना हुई थी, लेकिन यह परिघटना इतना महत्वपूर्ण था कि भारत के समकालीन इतिहास की पांच सबसे मजबूत परिघटनाओं में से एक है।
- भारत में अल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून में अनियमितता उत्पन्न होती रहती है।
- जलवायु परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2023 में रिकॉर्ड गर्मी के बाद 2024 में भी गर्मी की मौजूदा स्थिति और बदतर होने की आशंका है।
- यूनाइटेड किंगडम के मौसम विज्ञान कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी हो सकती है।
- जलवायु परिवर्तन होने से भारत की कृषि व्यवस्था जो मानसून पर ही निर्भर होती है को और अधिक घातक प्रभाव झेलना होगा। अतः भारत सरकार को भी अपने सतत विकास की नीतियों के कार्यान्वयन में सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है।
- हाल ही में 22 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में ' विश्व जल दिवस ' 'मनाया गया।
- वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस, संयुक्त राष्ट्र का एक वार्षिक दिवस है। जिसका मुख्य उद्देश्य – मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है।
- विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य – सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य विषय या थीम **" शांति के लिए जल का लाभ उठाना "** है।
- हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य टिकाऊ जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए **' जल शक्ति अभियान : कैच द रेन – 2024 अभियान '** प्रारंभ किया है।
- भारत में यह कार्यक्रम **'नारी शक्ति से जल शक्ति'** थीम पर आधारित था। जो जल शक्ति मंत्रालय के पांचवें संस्करण के अभियान के रूप में,नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था।
- भारत **' नारी शक्ति से जल शक्ति '** अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता है।
- भारत में आयोजित इस कार्यक्रम में **' जल शक्ति अभियान 2019 से 2023 – जल सुरक्षा की ओर अग्रसर एक सार्वजनिक नेतृत्व वाला आंदोलन '** नामक वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग और दो पुस्तकों – **'जल शक्ति अभियान: 2019 से 2023' और '101 जल जीवन मिशन के चैंपियन और महिला जल योद्धाओं की वार्ता '** का अनावरण भी किया गया।

विश्व जल दिवस का इतिहास :

- सन 1992 में ब्राजील में हुए पर्यावरण और विकास सम्मेलन में **'विश्व जल दिवस'** को मनाए जाने एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता विषय का प्रस्ताव पारित किया गया।
- सयुंक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 1992 में इस प्रस्ताव को अपनाते हुए वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष **22 मार्च को 'विश्व जल दिवस'** मनाए जाने की घोषणा की।
- **अतः पहली बार वर्ष 1993 में 'विश्व जल दिवस' मनाया गया।**
- वर्ष 2010 में यूएन ने सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी।
- सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जल संकट पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है।

विश्व जल दिवस का महत्व :

- विश्व जल दिवस का मुख्य लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 की उपलब्धि का समर्थन करना है।
- विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य वैश्विक स्तर पर 2030 तक सभी के लिए साफ जल और स्वच्छता उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्तमान समय में जल संरक्षण की जरूरत क्यों ?

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, स्वच्छता, साफ-सफाई और साफ पानी की कमी से होने वाली बीमारियों से हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व के लगभग 25% आबादी के पास स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं है और लगभग आधी वैश्विक आबादी के पास स्वच्छ शौचालयों का अभाव है। वर्ष 2050 तक जल की वैश्विक स्थिति 55% तक बढ़ने का अनुमान है।

- मानव जीवन में जल रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल का उचित उपयोग मीठे जल के भंडारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एक व्यक्ति एक दिन में औसतन 45 लीटर तक पानी अपने दैनिक गतिविधियों के माध्यम से बर्बाद कर देता है। इसलिए, दैनिक जल उपयोग में कुछ बदलाव करने से भविष्य में उपयोग के लिए काफी मात्रा में जल बचाया जा सकता है।
- दुनिया भर में लगभग 3 अरब से अधिक लोग जल की निर्भरता के कारण दूसरे देशों में पलायन करते हैं।
- विश्व भर में केवल 24 देशों के पास साझा जल उपयोग के लिए सहयोग समझौते हस्ताक्षर हुए हैं।

भारत में जल प्रबंधन के समक्ष चुनौतियाँ :

भारत में जल प्रबंधन के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान है-

- जल की मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को कम करना।
- खाद्य उत्पादन के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्द्धी मांगों के बीच उपयोग को संतुलित करना।
- महानगरों और अन्य बड़े शहरों की बढ़ती मांगों को पूरा करना।
- अपशिष्ट जल का उपचार।
- पड़ोसी देशों के साथ – साथ राज्यों के बीच पानी का बँटवारा करना।

समाधान की राह :

- भारत में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन लगभग 4 प्रतिशत लोगों को ही पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है।
- भारत में लगभग 90 मिलियन जनसंख्या को सुरक्षित पानी तक पहुंच नहीं है। भारत की सामान्य वार्षिक वर्षा 1100 मिमी है जो विश्व की औसत वर्षा 700 मिमी से अधिक है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार – जून से अगस्त 2023 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून 42 प्रतिशत जिलों में सामान्य से नीचे रहा है। अगस्त 2023 में देश में बारिश सामान्य से 32 प्रतिशत कम और दक्षिणी राज्यों में 62 प्रतिशत कम थी।
- 1901 के पश्चात अर्थात पिछले 122 वर्षों में भारत में पिछले वर्ष अगस्त में सबसे कम वर्षा हुई।
- भारत में हुई कम वर्षा से न केवल भारतीय कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की भारी कमी होने की प्रबल संभावना भी हो सकती है।
- भारत में एक वर्ष में उपयोग की जा सकने वाली पानी की शुद्ध मात्रा 1,121 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) अनुमानित है।
- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में कुल पानी की माँग 1,093 बीसीएम और 2050 में 1,447 बीसीएम होगी। परिणामस्वरूप अगले 10 वर्षों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी की संभावना है।
- भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक दोहन करता है। यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल दोहन-कर्ता (चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका) के संयुक्त दोहन से भी अधिक है।
- फाल्कनमार्क वॉटर इंडेक्स के अनुसार भारत में लगभग 76 प्रतिशत लोग पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार – वर्ष 2030 तक देश की जल मांग मौजूदा उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी।
- आधुनिक तकनीकों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग आदि का उपयोग करके पानी की खपत को मापा और सीमित किया जा सकता है।
- भारत में जल स्रोतों का विस्तार, जल दक्षता में सुधार और जल संसाधनों की रक्षा करने से पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

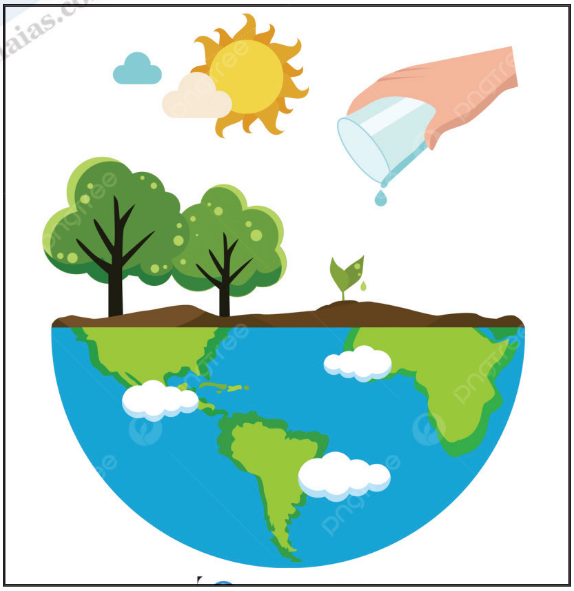

- भारत में जल संकट से उबरने और जल संवर्धन के लिए बरीड क्ले पॉट प्लांटेशन सिंचाई जैसे तकनीकी उपायों का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे पानी की बचत और फसल की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता हैं।

- भारत में भारत में जल संकट से उबरने और जल संवर्धन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जल संसाधनों की संरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर नीतियों में सुधार किया जाए और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार किया जाए ताकि पानी की सटीक और सही खपत की सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत में जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
- भारत में जल संग्रहण के विकास का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल की एक-एक बूंद का संरक्षण, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना, मिट्टी की नमी और पुनर्भरण (रिचार्ज) को बढ़ाना, मौसम की प्रतिकूलताओं के बावजूद प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति यूनिट जल की उत्पादकता को अधिकतम करना है।
- भारत में जल संरक्षण की परंपरागत प्रणाली पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहने वाली नदियां बारहमासी बनी रहें, इसके लिए सरकारी स्तर पर नीति – निर्माण करना और जल संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- भारत के ग्रामीण इलाकों में जल बजटिंग और जल ऑडिटिंग की स्पष्ट रूपरेखा बनाने के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र में एक जल बैंक स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।
- जल संरक्षण में भूजल वैज्ञानिकों के साथ समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर संगोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे।
- भारत में जल प्रशासन संस्थानों के कामकाज में नौकरशाही, गैर-पारदर्शी और गैर-भागीदारी वाला दृष्टिकोण अभी भी जारी है। अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश के जल प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है।
- यह आवश्यक है कि सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की विश्वसनीय जानकारी और उससे संबंधित आँकड़े हमें जल्द-से-जल्द उपलब्ध हों ताकि समय रहते इनसे निपटा जा सके और संभावित क्षति को कम किया जा सके। अतः भारत में भूजल स्तर को बढ़ाने और भूजल उपयोग को विनियमित करने संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिशीघ्र लिए जाने की जरूरत है।
- देश में नदियों की स्थिति दयनीय है। अतः नदियों की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
- भारत में जल प्रबंधन अथवा संरक्षण संबंधी नीतियाँ मौज़ूद हैं, परंतु समस्या उन नीतियों के कार्यान्वयन के स्तर पर है। भारत में जल संवर्धन की नीतियों के कार्यान्वयन में मौजूद शिथिलता को दूर कर उसके बेहतर तरीके से क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे देश में जल के कुप्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या से निपटा जा सके।
- भारत जैसे निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों पर जलवायु परिवर्तन एक साथ कई संकट पैदा करके ज्यादा घातक असर डालेगा। जहां यह प्रक्रिया मौसम की घटनाओं के सह-विकसित होने के तरीके को बदल देगी, वहीं यह उनकी आवृत्ति को भी कुछ इस तरह प्रभावित करेगी कि दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की संभावना पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जायेगी – मसलन सूखा और बीमारी का प्रकोप, जिसके चलते हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और बदतर होगी।
- सरकारों और नीति निर्माताओं को यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भविष्य में आने वाले अन्य संकट सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण पानी से जुड़ा होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष भारत में जल संरक्षण प्रबंधन एवं संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत की मानसून अल – नीनो जैसे बाह्य कारको से भी प्रभावित होती है।
2. भारत में जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट एक अच्छा विकल्प है।
3. विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य विषय/ थीम 'शांति के लिए जल का लाभ उठाना' है।

4.   भारत में विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य थीम नारी शक्ति से जल शक्ति था।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्न खतरों को रेखांकित करते हुए भारत में जल संरक्षण, प्रवंधन एवं संवर्धन की राह में आने वाली चुनौतियों और उसके समाधान पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

पीएम सोलर रूफटॉप योजना

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सतत विकास।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 संसद में अंतरिम बजट को पेश करते हुए भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सोलर रूफटॉप योजना की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत भारत में एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी।

- इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत के गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के लिए बिजली के बिल को कम करना है।
- सरकार का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करके घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का महत्व :

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत को अगले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी ऊर्जा मांग वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है।
- भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा का एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भारत को कोयले जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करना आवश्यक है।
- हाल के दिनों में सौर ऊर्जा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो 2010 में 10 मेगावाट से बढ़कर 2023 में 70.10 गीगावॉट हो गई है।

भारत की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता :

- वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक, भारत की कुल सौर क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है, जिसमें छत पर सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 11.08 गीगावॉट है।,
- भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान कुल सौर ऊर्जा क्षमता (18.7 गीगावॉट) के कारण भारत के सभी राज्यों में में अग्रणी है जबकि गुजरात छत पर कुल सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में (2.8 गीगावॉट) के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है।
- भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो लगभग 180 गीगावॉट है।
- भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्या होता है रूफटॉप सोलर पैनल ?

- रूफटॉप सोलर पैनल घर की छत पर लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सोलर प्लेट लगी होती है। यह ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोखकर बिजली उत्पादन करती है।
- इसके पैनल में फोटोवोल्टिक बैटरी लगी होती है जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदल देती हैं।
- सौर ऊर्जा के तहत उत्पादित बिजली भी वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है।

पीएम सोलर रूफटॉप योजना :

- पीएम सोलर रूफटॉप योजना को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के क्षमता का विस्तार करने पर केंद्रित है।
- यह योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा वितरण कंपनियों (DISCOMs) को केंद्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत मार्च 2026 तक 40 गीगावॉट रूफटॉप सौर स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- पीएम सोलर रूफटॉप योजना में हल के दिनों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके योजना के तहत मार्च 2019 में 1.8 गीगावॉट से बढ़कर नवंबर 2023 में 10.4 गीगावॉट हो गई है।
- इस योजना के तहत भारत का कोई भी उपभोक्ता निविदा परियोजनाओं या राष्ट्रीय पोर्टल (www.solarrooftop.gov.in) के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकता है। यह योजना उपभोक्ताओं को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर विक्रेता और सौर उपकरण चुनने का अधिकार देती है।
- इस योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना और निरीक्षण के बाद, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।
- उपभोक्ताओं के पास राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) या संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित प्रचलित नियमों के अनुसार मौद्रिक लाभ प्राप्त करते हुए, अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में निर्यात करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है ?

- इस योजना के तहत भारत को 2030 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- इस योजना के तहत भारत को जीवाश्म ईंधन पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने में तथा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
- भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत भारत में लाखों घरों को स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान किया जा सकता है।
- इसके साथ – ही – साथ भारत के खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां बिजली ग्रिड की पहुंच सीमित है, वहां तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की पहुँच को सुनिश्चित किया जा सकता है।

पीएम सोलर रूफटॉप योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ :

- इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत के निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लक्षित करना है जो कम बिजली बिल और अधिशेष बिजली उत्पादन से अतिरिक्त आय के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत भारत के उन पात्र परिवारों को उनकी श्रेणी और स्थान के आधार पर सब्सिडी, ऋण या प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसके घरों तक अभी भी बिजली या उर्जा के अन्य स्त्रोत नहीं पहुँच पाया है।
- इस योजना के तहत भारत में लोगों के घरों को छत पर सौर प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव में सरकार द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान किया जायेगा।
- भारत में इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा राज्य सरकारों, वितरण कंपनियों, बैंकों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

सौर ऊर्जा के लिए अन्य सरकारी पहल :

1. **सोलर पार्क योजना**
2. **अटल ज्योति योजना (अजय)**
3. **राष्ट्रीय सौर मिशन**
4. **सृष्टि योजना**

5. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

भारत में पीएम सोलर रूफटॉप योजना में विद्यमान चुनौतियाँ :

- भारत में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी रूफटॉप सौर स्थापना के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और जानकारी का अभाव है ।
- इस योजना के तहत होने वाली उच्च अग्रिम लागत और उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर प्रणालियों में निवेश करने के लिए आसान वित्तपोषण विकल्पों की कमी है ।
- भारत में नेट मीटरिंग, ग्रिड कनेक्टिविटी, टैरिफ संरचना आदि के संबंध में अनेक प्रकार की विनियामक बाधाएं और नीतिगत अनिश्चितताएं मौजूद है जो भारत के हर राज्यों में और अलग – अलग क्षेत्रों में अलग – अलग प्रकार की है।
- भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की खराब गुणवत्ता, इसकी स्थापना में और इसके रखरखाव की सेवाओं में ग्रिड एकीकरण और प्रबंधन आदि जैसे तकनीकी मुद्दे छत पर सौर प्रणालियों के प्रदर्शन और इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

समाधान की राह :

- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक स्वागत योग्य पहल और एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है।
- यह योजना भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है।
- वर्तमान समय में इस योजना में कई चुनौतियाँ विद्यमान है। अतः इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय के माध्यम से उन चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता है।
- भारत में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया अभियानों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना और उन तक पहुंच बढ़ने की जरूरत है।
- रूफटॉप सोलर सिस्टम की अग्रिम लागत और पेबैक अवधि को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना अत्यंत जरूरी है ।
- छत पर सौर स्थापना और संचालन के लिए एकरूपता, स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और अलग – अलग क्षेत्रों में नियामक और नीति ढांचे को सुव्यवस्थित और सुसंगत बनाने की जरूरत है।

- भारत में इस योजना के तहत छत पर सौर उपकरणों की स्थापना और रखरखाव से संबंधित सेवाओं, ग्रिड के एकीकरण और प्रबंधन आदिसे जुड़े तकनीकी मानकों और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है।
- भारत में पीएम सोलर रूफटॉप योजना के तहत छत पर सौर प्रणालियों की सुरक्षा, दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।
- भारत के घरेलू निर्माताओं को भी कड़ी गुणवत्ता जांच के अधीन लाना चाहिए और उन्हें महज राष्ट्रवादी या स्वदेशी होने के आधार पर ही इसमें लगाने वाली लागत और गुणवत्ता से समझौता करने की जरूरत नहीं है।
- भारतीय सौर उद्योग को भी जहाँ एक और उच्च गुणवत्ता वाले निर्यातक बनना चाहिए, वहीं उसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में यह योजना एक ऐसी सड़क की तरह है जिसमें कोई आसान मंजिल नहीं है और उन्हें एक लम्बी सफ़र को तय करना है, ताकि भारत में इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके और भारत के हर घर को अँधियारा से मुक्ति मिल सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पीएम सोलर रूफटॉप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस योजना में भारत में एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान करने का प्रावधान है।
2. इससे भारत को जीवाश्म ईंधन पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करके ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
3. भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
4. भारत में इस योजना को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

उपरोक्त कथन/कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी ।

उतर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य क्या हैं ? भारत में पीएम सोलर रूफटॉप योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों एवं उसके समाधानों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

Yojna IAS yojnaias.com

भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च 2024

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, सकल वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत में केंद्र – राज्य संबंधो के तहत केंद्रीय करों का हस्तांतरण।

ख़बरों में क्यों ?

- भारत में राजस्व एवं कुल कर संग्रह के ऐतिहासिक सफ़र में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वित्तीय वर्ष में पहली बार सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कुल संग्रह 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023 -24 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि दर को दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष के औसत कर संग्रह के 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक था।
- चालू वित्त वर्ष के लिए मार्च 2024 तक निपटान के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 18.01 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।
- भारत में मार्च 2024 में उच्चतम सकल जीएसटी संग्रह 1.78 लाख रुपए था, जो पिछले वर्ष अर्थात मार्च 2023 की तुलना में 11.5% की वृद्धि है।
- भारत में वर्ष 2017 के जुलाई महीने में जीएसटी लागू होने के बाद से यह एक महीने में जीएसटी का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह था।
- भारत में वर्ष 2023 के अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक एकल – माह सकल जीएसटी संग्रह को प्राप्त किया गया था।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च 2024 में उच्चतम सकल जीएसटी संग्रह का मुख्य कारण घरेलू लेनदेन में हुई बढ़ोतरी है।
- भारत में मार्च 2024 में रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.65 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.4% अधिक कर संग्रह है।

- भारत में मार्च 2024 में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। भारत में केवल महाराष्ट्र राज्य का ही कुल कर संग्रह में सबसे अधिक योगदान 27,688 करोड़ रुपए का है।

भारत में कर संग्रह के सभी घटकों में एक सकारात्मक प्रदर्शन देखा गया है। अतः मार्च 2024 में कुल कर संग्रह का विवरण निम्नलिखित है –

- **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): ₹34,532 करोड़**
- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): ₹43,746 करोड़**
- **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): ₹87,947 करोड़, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र ₹40,322 करोड़ शामिल हैं।**
- **उपकर के रूप में ₹12,259 करोड़, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र ₹996 करोड़ शामिल हैं।**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह का विवरण :

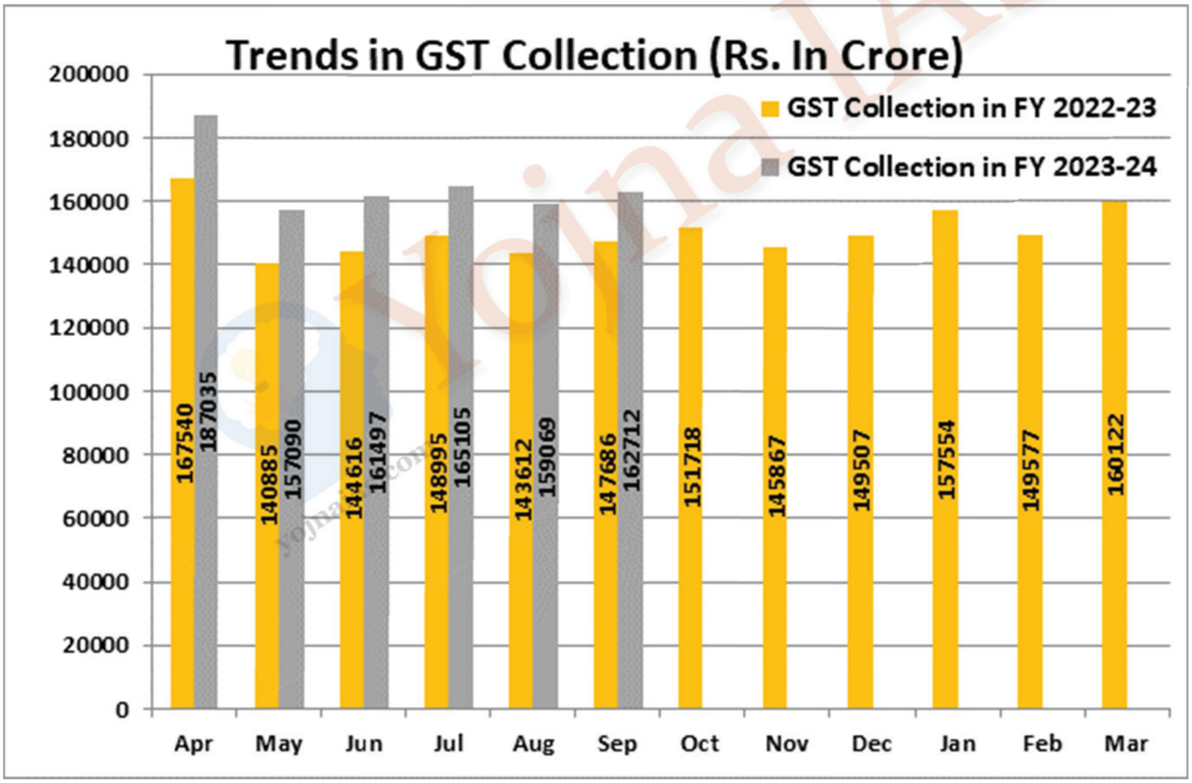

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान का जीएसटी संग्रह में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान निम्नलिखित है –

- **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) 3,75,710 करोड़ रुपए,**
- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) 4,71,195 करोड़ रुपए;**
- **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) 10,26,790 करोड़ रुपए था, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 4,83,086 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।**
- **उपकर: आयातित वस्तुओं पर 11,915 करोड़ रुपये सहित 1,44,554 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।**

भारत में वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

- भारत में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल सकल जीएसटी संग्रह के मामले में लगातार मजबूत प्रदर्शन करना कुल सकल जीएसटी संग्रह के संदर्भ में एक मील का पत्थर है। इस वित्तीय वर्ष में हुए औसत मासिक कर संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष के औसत ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक है।
- चालू वित्त वर्ष के लिए मार्च 2024 तक रिफंड का जीएसटी राजस्व शुद्ध ₹18.01 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4% की वृद्धि है।
- भारत में अंतर – सरकारी समझौता के तहत मार्च, 2024 के महीने में, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को ₹43,264 करोड़ और एसजीएसटी को ₹37,704 करोड़ का निपटान किया है।
- भारत में यह करों के मामले में नियमित निपटान के बाद मार्च, 2024 के लिए सीजीएसटी के लिए ₹77,796 करोड़ और एस-जीएसटी के लिए ₹81,450 करोड़ का कुल राजस्व है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को ₹4,87,039 करोड़ और एसजीएसटी को ₹4,12,028 करोड़ का निपटान किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर क्या है ?

- जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया है।
- भारत में संसद द्वारा 29 मार्च 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से कर की यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो गया था।
- भारत के संविधान में वस्तु एवं सेवा कर 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा शामिल किया गया था।
- इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नए अनुछेद 246 क को शामिल कर वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान किया था।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।
- जीएसटी पूरे देश के लिए एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है।
- वस्तु एवं सेवा कर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को एक साथ ही प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

भारत में वैसे अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। वैसे कर निम्नलिखित है –

1. **मूल सीमा शुल्क**
2. **पेट्रोल और डीज़ल पर मूल्य वर्धित कर**
3. **तम्बाकू और शराब पर कर**
4. **संपत्ति पर स्टांप शुल्क**
5. **विद्युत शुल्क**
6. **वाहन कर**
7. **संपत्ति कर**

भारत में केंद्र – राज्य संबंधो के तहत केंद्रीय करों के हस्तांतरण की प्रक्रिया :

- केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को कर हस्तांतरित करती है। जिसको मासिक किस्तों के माध्यम से हस्तांतरण किया जाता है।
- पिछले दो वर्षों में, कुल धनराशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में हस्तांतरित किया गया था।
- 2021-22 में, केंद्र ने चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान 50% धनराशि हस्तांतरित की। 2022-23 में ये आंकड़ा 36% था।
- 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में, केंद्र ने राज्यों को आवंटित कुल धनराशि का 23% हस्तांतरित कर दिया है।
- यह 2021-22 और 2022-23 की तुलना में काफी अधिक है। केंद्रीय करों का अग्रिम हस्तांतरण राज्यों को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय करने से बचने की अनुमति दे सकता है।
- भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार – वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता को औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।
- एक वित्तीय वर्ष में राज्यों द्वारा व्यय की असमान गति प्राप्तियों के प्रणालियों से प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय करों में से राज्यों को किया जाने वाला कर हस्तांतरण राज्यों को भी उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने व्यय के तरीकों को बेहतर योजना बनाने की अनुमति दे सकता है।

समाधान / आगे की राह :

- भारत में अभी तक के जीएसटी का सफर और जीएसटी राजस्व में जबरदस्त उछाल इस कर व्यवस्था में कुछ बेहद जरूरी बदलावों को सुधारने का एक मौका देता है, जिससे जीएसटी की एक खिड़की के खुलने का संकेत मिलता है।
- समग्र जीएसटी में आई उछाल से लोकसभा के आम चुनाव 2024 के बाद बनने वाली अगली सरकार को इस कर व्यवस्था में अति-आवश्यक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने में सहूलियत मिलनी चाहिए।
- जीएसटी संग्रह में हुई बढ़ोतरी पिछले सालों के लिए की गई कर संबंधी मांगों और नकली चालान एवं धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे कर-चोरी के मालूम तरीकों पर शिकंजा कसने के चलते हुई है।
- अतः भारत में कर – चोरी करने वालों पर भी सरकार को शिकंजा कसने की जरूरत है ताकि भारत में एक पारदर्शी कर प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके।
- इन सुधारों में इस कर की विभिन्न दरों हटाकर उन्हें तर्कसंगत बनाने की योजना को नए सिरे से अंजाम देना और इसके दायरे में बिजली व पेट्रोलियम उत्पादों जैसी बाहर छूटी वस्तुओं को लाना और सीमेंट एवं बीमा जैसे प्रमुख उत्पादों पर उच्च शुल्क को कम करना शामिल होना चाहिए।
- जीएसटी मुआवजा उपकर, जिसका इस्तेमाल अब कोविड-19 के महामारी-काल की उधारियों को चुकाने के वास्ते राज्यों को मुआवजा देने के लिए किया जा रहा है, पिछले साल 1.44 लाख करोड़ रूपए था को मार्च 2026 की विस्तारित समय-सीमा से पहले ही निपटा दिया जाए।
- केंद्र सरकार को तम्बाकू जैसी वास्तविक अवगुण वाली वस्तुओं को छोड़कर, इसमें निहित उपकर को लगाने के लोभ से बचना बेहद महत्वपूर्ण है।
- उपभोग व निजी निवेश को बढ़ावा देने के बावजूद भी हाइब्रिड वाहनों पर 40 फीसदी से अधिक कर लगाने से भारत को अपने हरित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अतः केंद्र सरकार को कर – प्रणाली के इस मौजूदा व्यवस्था को भी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, ताकि भारत अपने हरित लक्ष्य को आसानी से सफलतापूर्वक प्राप्त सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया है।
2. भारत में जीएसटी पूरे देश के लिए एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है।
3. भारत में मार्च 2024 में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) का योगदान ₹34,532 करोड़ है जबकि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का योगदान ₹43,746 करोड़ है।
4. भारत में तम्बाकू और शराब पर कर तथा संपत्ति कर भी जीएसटी में शामिल है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 3 और 4

D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर – A.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं ? भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभावों, उससे जुडी चुनौतियों और उसके समाधान की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केंद्र – राज्य संबंध

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – पेपर -2

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य सरकार द्वारा दायर एक मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेजने का आदेश दिया है, जिसमें भारत में केंद्र सरकार द्वारा के केरल राज्य को दिए जाने वाले उधारी में कटौती के फैसले को चुनौती दी गई थी।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा उधार सीमा लागू करने से पहले की स्थिति को बहाल करने वाले अंतरिम आदेश पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है लेकिन उसे एक बड़ी पीठ को इसलिए सौप दिया है जो यह जांचने का अवसर देगा कि केंद्र सरकार किस हद तक राज्य की उधारी को विनियमित कर सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में उठाया गया यह कदम एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है।
- केरल सरकार ने इस मामले में यह दावा किया है कि केंद्र सरकार की उधार सीमा प्रतिबंध भारत के राजकोषीय संघवाद के म्फूल स्वरुप और उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केरल राज्य के बीच विवाद का मूल कारण :

1. केरल द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर यह मुद्दा केंद्र द्वारा केरल पर नेट उधार सीमा (एनबीसी) पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, जिससे भारत में किसी भी राज्य की उधार लेने की क्षमता सीमित हो जाती है।

2. केरल ने एनबीसी की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए यह तर्क दिया कि यह आवश्यक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने की राज्य की क्षमता को बाधित करता है।

भारत में राजकोषीय संघवाद का अर्थ :

- \राजकोषीय शब्द की उत्पत्ति **'फिस्क'** शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सार्वजनिक खजाना या सरकारी धन।
- अतः राजकोषीय नीति सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित होती है।
- भारत में राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन के वितरण को संदर्भित करना है।
- भारतीय संविधान की **7 वीं अनुसूची** में केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- भारत के संविधान में ऐसी 3 सूचियाँ हैं जहाँ केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण किया जाता है।

वे निम्नलिखित है –

- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची

भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य :

भारत में राजकोषीय नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. उच्च आर्थिक विकास
2. मूल्य स्थिरता
3. असमानता में कमी

उपरोक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित तरीकों से पूरा किया जाता है –

1. उपभोग नियंत्रण – इस तरह, बचत और आय का अनुपात बढ़ाया जाता है।
2. निवेश की दर बढ़ाना.
3. कराधान, बुनियादी ढांचे का विकास।
4. प्रगतिशील करों का अधिरोपण.
5. कमजोर वर्गों को करों से छूट प्रदान की गई।

6. विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाना।

7. अनर्जित आय को हतोत्साहित करना.

भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य घटक :

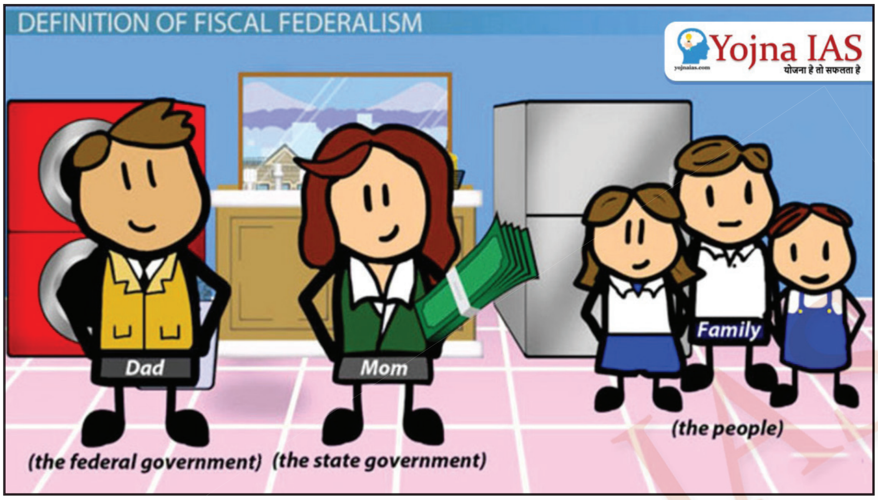

भारत की राजकोषीय नीति के मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं। जो निम्नलिखित है –

1. सरकारी रसीदें
2. सरकारी खर्च
3. सार्वजनिक ऋण

भारत में सरकार की सभी प्राप्तियाँ और सभी प्रकार के होने वाले व्यय निम्नलिखित निधियों में से जमा और निर्गत अथवा व्यय किया जाता है।

1. भारत की संचित निधि
2. भारत की आकस्मिकता निधि
3. भारत का सार्वजनिक खाता

शुद्ध/ नेट उधार सीमा (एनबीसी) :

- नेट उधार सीमा (एनबीसी) भारत में राज्यों की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध होता है। जिसमें यह उस धन की मात्रा को सीमित करता है जिसके तहत भारत में कोई भी राज्य खुले बाजार से या विभिन्न स्रोतों से कोई भी उधार ले सकता है।

- दिसंबर 2023 तक, भारत में राज्यों के लिए सामान्य शुद्ध उधार सीमा ₹8,59,988 करोड़ या राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3% है।

- हालाँकि, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में भाग लेने के लिए भारत के 22 राज्योंको ₹60,880 करोड़ की अतिरिक्त उधार सीमा को मंजूरी दे दी है।

- एनबीसी का मुख्य उद्देश्य राज्य के वित्त को विनियमित करना, अत्यधिक उधार लेने से रोकना तथा भारत में राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करना है।

एनबीसी के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त – बजटीय उधार :

- केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए कर्ज को एनबीसी में शामिल किया है। जैसे, कई राज्यों के वैधानिक निकाय (जैसे कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) एनबीसी की 3% सीमा से अधिक अतिरिक्त ऋण नहीं जुटा सकते हैं। इस कदम ने राज्य के वित्त को विनियमित करने के केंद्र सरकार के अधिकार के संबंध में संवैधानिक चिंताओं को बढ़ा दिया है ।

एनबीसी के मामले में केरल का तर्क :

- **राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता :** केंद्र के द्वारा एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में किया गया संशोधन राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता का उल्लंघन करता है ।
- **उधार सीमा :** केंद्र के संशोधनों ने केरल की उधार सीमा को काफी कम कर दिया है, जिससे राज्य के वित्तीय संकट प्रबंधन पर असर पड़ा है ।
- **संवैधानिक उल्लंघन :** केरल का तर्क है कि केंद्र की कार्रवाई राज्य के विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण है, जो संविधान की 7 वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन है।
- **वित्तीय संकट :** राज्य को डर है कि हस्तक्षेप के बिना, लगाए गए वित्तीय अवरोधों का दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव हो सकता है।
- **एकमुश्त पैकेज :** सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कड़ी शर्तें लगाते हुए धन की कमी से निपटने में मदद करने का सुझाव दिया गया था। राज्य ने 5000 करोड़ रुपये का ऋण अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे ऋण के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

केंद्र सरकार का तर्क :

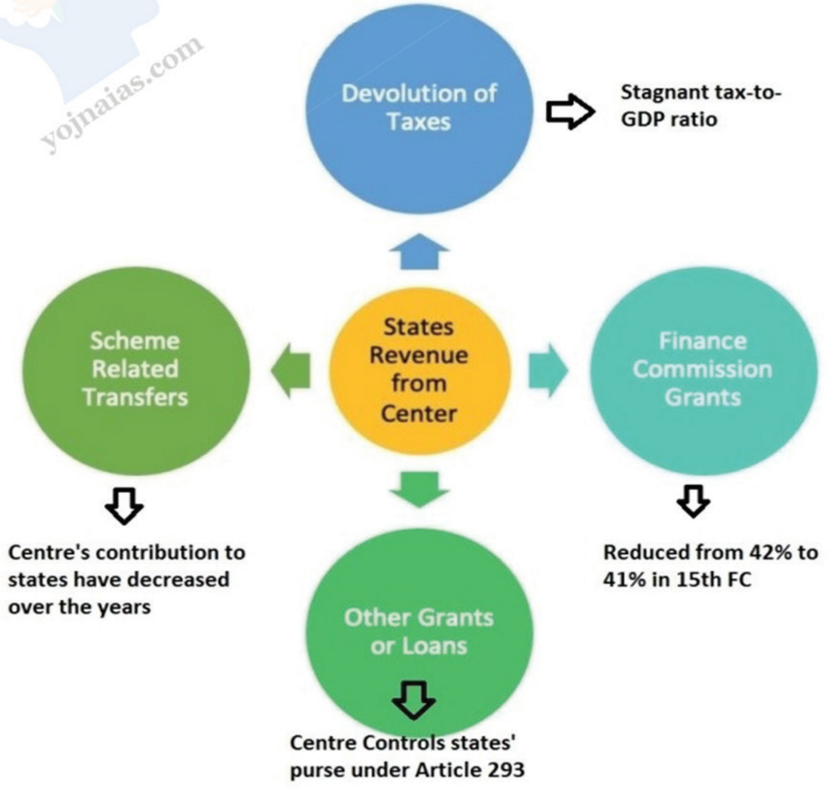

- **राज्य का वित्तीय संकट :** इस मामले में केंद्र का तर्क है कि केरल की वित्तीय संकट राज्य के कुप्रबंधन और अपव्यय के कारण है, न कि उधार लेने की सीमा के कारण है।

- **एफआरबीएम अधिनियम 2003 :** केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय लेनदेन एफआरबीएम अधिनियम, 2003 द्वारा शासित होते हैं, जिसमें उधार लेने की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% के आधार पर निर्धारित की जाती है।

- **15वां वित्त आयोग की सिफारिशें :** केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए उधार सीमा में ढील देने से इनकार कर दिया है। इसने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने और वेतन पर उच्च व्यय के कारण केरल को **"अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्य "** के रूप में दिखया है। केंद्र ने कहा कि उसका एकमुश्त पैकेज प्रस्ताव (5000 करोड़ रुपये) सख्त शर्तों के साथ आता है ताकि अन्य राज्यों को समान पैकेज के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने से रोका जा सके।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए), 2003 :

- भारत में FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना है। अतः इस अधिनियम के तहत सरकार को अपने राजकोषीय नीति को अनुशासित तरीके से या जिम्मेदार तरीके से संचालित किया जाना चाहिए यानी सरकारी घाटे या उधार को उचित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए और सरकार को अपने राजस्व के अनुसार अपने व्यय की योजना बनानी चाहिए ताकि उधार सीमा के भीतर रहे।

भारत में राज्य की उधारी को कैसे विनियमित किया जाता है ?

- **अनुच्छेद 293 :** यह राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे उन्हें राज्य के समेकित कोष से गारंटी पर केवल भारत के क्षेत्र के भीतर से उधार लेने की अनुमति मिलती है।

- **एफआरबीएम अधिनियम 2003 :** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए राज-कोषीय घाटे और उधार की सीमा निर्धारित करता है।

- **वित्त आयोग :** भारत में वित्त आयोग समय-समय पर राजकोषीय मामलों के संबंध में सिफारिशें करता है, जिसमें राज्यों के लिए उधार सीमा भी शामिल है, यह आर्थिक स्थितियों, राजकोषीय स्वास्थ्य और विकासात्मक आवश्यकताओं जैसे कारकों को

ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए उधार सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- **राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम :** प्रत्येक राज्य का अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम हो सकता है, जो राज्य के भीतर उधार लेने और राजकोषीय प्रबंधन के लिए सीमाओं और दिशानिर्देशों को परिभाषित करता है।
- **केंद्र की भूमिका :** यह वित्तीय मामलों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वित्त आयोग जैसे निकायों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए उधार सीमा को मंजूरी देना भी शामिल है। यह विधायी परिवर्तनों, एफआरबीएम अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन, या अतिरिक्त धन देने में विवेक का प्रयोग करके या असाधारण परिस्थितियों में उधार लेने की बाधाओं में ढील देकर राज्य की उधार सीमा को प्रभावित कर सकता है।
- **ऋण चुकाना :** राज्य की उधारी का उपयोग लाभदायक निवेशों के बजाय चल रहे खर्चों के लिए किया जाता है, जिससे इसकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होती है।
- **राजस्व सृजन :** राज्य का राजस्व सृजन उसकी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, राज्य जीएसटी सहित करों से राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है लेकिन आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव और बाहरी कारक कर संग्रह को प्रभावित करते हैं।
- **व्यय प्रणाली :** वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी वस्तुओं पर उच्च स्तर का आवर्ती व्यय होता है जो राज्य में वित्तीय असंतुलन पैदा करता है।
- **प्राकृतिक आपदाएँ :** केरल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन आदि से ग्रस्त है, जो बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है।

समाधान / आगे का रास्ता :

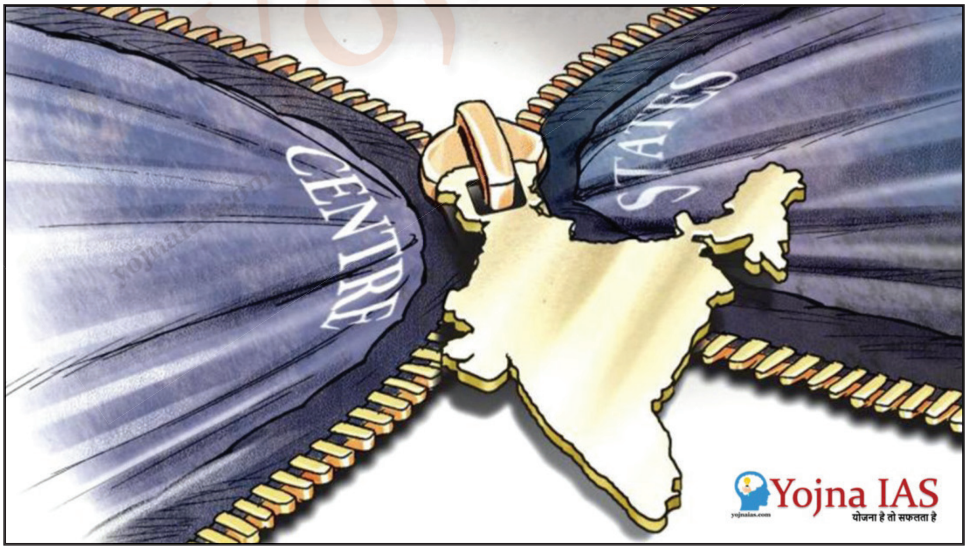

- केरल की चुनौती राजकोषीय संघवाद और वित्तीय प्रबंधन में राज्य की स्वायत्तता पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद को उजागर करती है। राज्य का तर्क है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के ऋण और सार्वजनिक खाते की शेष राशि सहित उधार लेने पर केंद्र के प्रतिबंध, उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह कानूनी लड़ाई केंद्रीय निरीक्षण और राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता के बीच तनाव को रेखांकित करती है, जो संभावित रूप से भारत में संघीय-राज्य वित्तीय संबंधों की गतिशीलता को नया आकार दे रही है।
- **15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की पुनः समीक्षा करना :** 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की फिर से जांच की जा सकती है। राज्य अपनी चिंताओं को वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ साझा सकते हैं, जिससे राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखते हुए अपनी वित्तीय स्वायत्तता का उल्लंघन न करना पड़े।

- **न्यायिक समीक्षा और न्यायिक स्पष्टीकरण की जरूरत :** एनबीसी के मामले में केरल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। अतः इसका एक समाधान अनुच्छेद 293(3) और अनुच्छेद 266(2) के संबंध में एनबीसी की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा है। न्यायालय की व्याख्या राज्य के उधार पर केंद्र के अधिकार की संवैधानिक सीमाओं से संबंधित विवादों को हल कर सकती है।

- **सहकारी संघवाद को मजबूत करने की जरूरत :** जीएसटी परिषद या विशेष रूप से बुलाई गई राजकोषीय नीति परिषद जैसे मंचों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य उधार सीमा पर बातचीत करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों के पास अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय छूट हो।

- **विधायी कार्रवाई :** संसद राज्य के उधारों पर केंद्रीय निगरानी के दायरे को स्पष्ट करने के लिए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों (संवैधानिक सीमाओं के अधीन) में संशोधन करने पर विचार कर सकती है। इसे राजकोषीय संघवाद के संतुलन का सम्मान करना चाहिए और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया जाना चाहिए।

- **राज्य स्तर पर राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना :** राज्य अपने राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं , जैसा कि केरल ने केरल राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के माध्यम से किया है। स्पष्ट घाटे के लक्ष्य और बजट प्रबंधन प्रथाओं को निर्धारित करके, राज्य राजकोषीय विवेक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केंद्र के साथ उनकी बातचीत की शक्ति बढ़ सकती है।

- **सार्वजनिक खाता प्रबंधन पर आम सहमति बनाना :** एनबीसी के भीतर सार्वजनिक खाता निकासी को शामिल करने के मुद्दे को सभी राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनाकर संबोधित किया जा सकता है, जिसे बाद में ऐसे लेनदेन को उधार सीमा से बाहर करने के लिए संयुक्त मोर्चे पर केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। .

- **आर्थिक सुधार और विकास संवर्धन को बढ़ावा देकर :** आर्थिक सुधारों के माध्यम से कर आधार का विस्तार करना , निवेश के माहौल को बढ़ावा देना और राज्य के स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि को बढ़ावा देना, उधार पर निर्भरता के बिना राज्य के खर्च के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के स्थायी तरीके हो सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राजकोषीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. संविधान की 7 वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है।
2. भारत में राज्यों की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाले प्रतिबंध को शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) कहा जाता है।
3. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए कर्ज को केंद्र द्वारा एनबीसी में शामिल किया जाता है।
4. केंद्र द्वारा राज्यों के लिए उधार सीमा प्रतिबंध निर्धारित करना भारत के राजकोषीय संघवाद के प्मूल स्वरुप और उसके प्राव-धानों का उल्लंघन करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 3 और 4

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर तेजी से जोर दिया गया है। सहकारी संघवाद के मौजूदा ढांचे में व्याप्त कमियों पर प्रकाश डालते हुए यह चर्चा कीजिए कि राजकोषीय संघवाद किस हद तक इन कमियों का समाधान करेगा ? (UPSC CSE 2015)

Q.2 आप कहां तक सोचते हैं कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत में संघ की प्रकृति को आकार दिया है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत करें। (UPSC CSE – 2020)

वीवीपीएटी बनाम मतों की पुनर्गणना एवं मत – सत्यापन

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत के लोकसभा चुनाव 2024 के विभिन्न चरणों और तारीखों की घोषणा की गई है।
- भारत में होनेवाले लोकसभा आम चुनाव 2024 के विभिन्न चरणों की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में VVPAT पर्चियों का EVM में पड़े वोटों से मिलान करने के संबंध में एक याचिका दायर हुई है।
- भारत के उच्चतम न्यायलय के न्यायमूर्ति जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दायर हुई इस याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत के उच्चतम न्यायलय के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि – **“ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और भारत में होने वाले आम चुनावों में चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत वीवीपैट (VVPAT) का इस्तेमाल होना चाहिए।”**

- वर्तमान समय में भारत में होने वाले आम चुनावों में वोटों के गणना के सत्यापन के लिए 5 रैंडम मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाता है।
- भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें करीब 900 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके भारत के मतदाता अपना मत डालेंगे और इस चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

वीवीपीएटी (VVPAT) का परिचय :

- **वीवीपीएटी (VVPAT) का पूरा नाम –** वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स है, जो चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी मशीन होती हैं। जब कोई मतदाता ईवीएम का उपयोग करके वोट डालता है, तो वीवीपैट मतदाता की पसंद को प्रदर्शित करने वाली एक पेपर स्लिप प्रिंट करता है। यह पर्ची कुछ सेकंड के लिए कांच के पीछे दिखाई देती है, जिससे मतदाता इसे बॉक्स में जमा करने से पहले अपनी पसंद को सत्यापित कर सकता है।
- वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करने की एक विधि है।
- वीवीपीएटी का उद्देश्य वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है, जिसे मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए और संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगाने के लिए, और संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का

ऑडिट करने का साधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है।

- इसमें उम्मीदवार का नाम (जिसके लिए वोट डाला गया है) और पार्टी / व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह शामिल होता है।

भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग करने की पृष्ठभूमि :

- भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग करने का विचार पहली बार 2010 में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जब कई राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंता जताई थी। ईसीआई ने विभिन्न राज्यों में वीवीपीएटी मशीनों के कई क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन किए और विभिन्न हितधारकों से इस बारे में प्रतिक्रिया भी मांगी थी।
- वर्ष 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ECI को चरणबद्ध तरीके से VVPAT लागू करने का निर्देश दिया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में ECI को भारत में आयोजित होने वाले भविष्य के सभी चुनावों में ईवीएम के साथ VVPAT का उपयोग करने का आदेश दिया था।

भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी का महत्व :

- यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनके वोट उनके पसंद के अनुसार ही डाले गए हैं।
- इससे ईवीएम द्वारा वोटों की रिकॉर्डिंग में किसी भी विसंगति या हेरफेर को रोका जाता है।
- यह संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने का साधन प्रदान करता है और किसी भी विवाद या संदेह के मामले में वोटों की क्रॉस-चेकिंग को सक्षम बनाता है।
- यह भ्रष्ट या ख़राब वोटिंग मशीनों या कर्मियों द्वारा वोटों को बदलने या नष्ट करने में एक अतिरिक्त बाधा के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत में आयोजित होने वाली चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाता है और ईवीएम के खिलाफ लगाए गए

किसी भी तरह के आरोपों या शिकायतों की गुंजाइश को कम करता है।

वीवीपीएटी की विशेषताएँ :

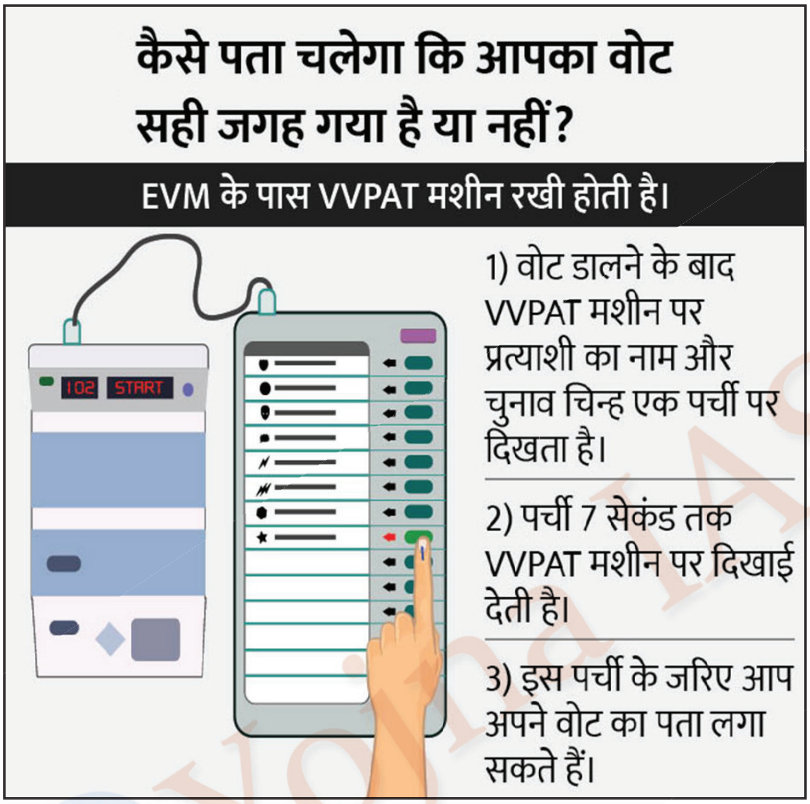

- वीवीपीएटी मशीन ईवीएम से जुड़ा एक प्रिंटर जैसा उपकरण है। जब कोई मतदाता चुने हुए उम्मीदवार के खिलाफ ईवीएम पर बटन दबाता है, तो वीवीपीएटी मशीन उम्मीदवार के क्रम संख्या, नाम और उसके चुनाव चिन्ह के साथ एक पेपर स्लिप प्रिंट करता है।
- वीवीपीएटी मशीन में एक पारदर्शी खिड़की के द्वारा मतदाता को पर्ची सात सेकंड के लिए दिखाई देती है, जिसके बाद यह स्वचालित रूप से कट जाती है और एक सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।
- वीवीपीएटी को बैटरी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह पावर पैक बैटरी पर चलता है।
- सामान्य तौर पर एक वीवीपीएटी के वोटों को गिनने में एक घंटे का समय लगता है।
- वीवीपीएटी को पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के तुएनसांग जिले में नोकसेन विधानसभा सीट के उपचुनाव में किया गया था।
- वीवीपीएटी में एक प्रिंटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (VSDU) लगा होता है।
- पुनर्गणना या ऑडिट के मामले में यह पर्ची केवल मतदान अधिकारियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपीएटी से संबंधित उठाए गए सुधारात्मक कदम :

- ईसीआई ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से 16 लाख से अधिक वीवीपीएटी मशीनें खरीदी हैं।
- ईसीआई ने वीवीपीएटी मशीनों के उपयोग और संचालन पर मतदान अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों

और मतदाताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

- ईसीआई ने निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी के आवंटन और वितरण के लिए एक यादृच्छिककरण प्रक्रिया शुरू की है।
- ईसीआई ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र को ईवीएम वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा।
- ईसीआई ने ईवीएम और वीवीपीएटी परिणामों के बीच किसी भी बेमेल या विसंगति के मामले में वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती के लिए एक तकनीकी प्रोटोकॉल भी विकसित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष वीवीपैट से संबंधित चुनौतियाँ :

- वीवीपीएटी में दोषपूर्ण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बग, बिजली में उतार-चढ़ाव, पर्यावरणीय स्थिति, मानवीय त्रुटियों या तोड़फोड़ जैसे विभिन्न कारकों के कारण वीवीपीएटी मशीनों में तकनीकी खराबी, खराबी, जाम होने या प्रिंटिंग त्रुटियों का खतरा होता है।
- अकेले ईवीएम की तुलना में वीवीपीएटी मशीनों को अधिक रखरखाव, भंडारण स्थान, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन लागत की आवश्यकता होती है।
- वीवीपीएटी मशीनें मतदान प्रक्रिया के समय और जटिलता को बढ़ाती हैं, क्योंकि मतदाताओं को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले पेपर स्लिप के सामने आने और उसे सत्यापित करने का इंतजार करना पड़ता है।
- मतदाता सत्यापन सुनिश्चित करने में वीवीपीएटी मशीनें पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती हैं , क्योंकि कुछ मतदाता पेपर स्लिप को ठीक से जांच या समझ नहीं पाते हैं, या मतदान अधिकारियों को किसी विसंगति या शिकायत की रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
- वीवीपीएटी मशीनें चुनाव परिणामों के बारे में सभी विवादों या संदेहों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पेपर पर्चियों की गिनती कुछ मतदान केंद्रों तक ही सीमित है और मानवीय त्रुटियों या हेरफेर के अधीन है।

समाधान / आगे बढ़ने का रास्ता :

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपीएटी को व्यापक रूप से सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। हालाँकि, यह कुछ तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है जिन्हें सावधानीपूर्वक समाधान करने की आवश्यकता है। भारत में चुनावों में लागू करने से पहले बड़े पैमाने पर वीवीपीएटी प्रणालियों का गहन परीक्षण और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
- भारत में आम चुनावों में इसके उपयोग और सत्यापन के लिए पर्याप्त कानूनी और नियामक ढांचे को सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है।
- भारत में निर्वाचन आयोग को प्रत्येक राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के कुछ विधानसभाओं को चुनकर इसे सांख्यिकीय रूप से और

ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए पुनर्गणना के नमूने में बढ़ोतरी या फिर सिर्फ उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत ही कम (मसलन, कुल वोटों का एक फीसदी से भी कम) है, पुनर्गणना के नमूने को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान किया सकता है। लेकिन पूर्ण पुनर्मतगणना पर जोर देना अतिशयोक्ति और ईवीएम में भरोसे की स्पष्ट कमी को दर्शाता है।

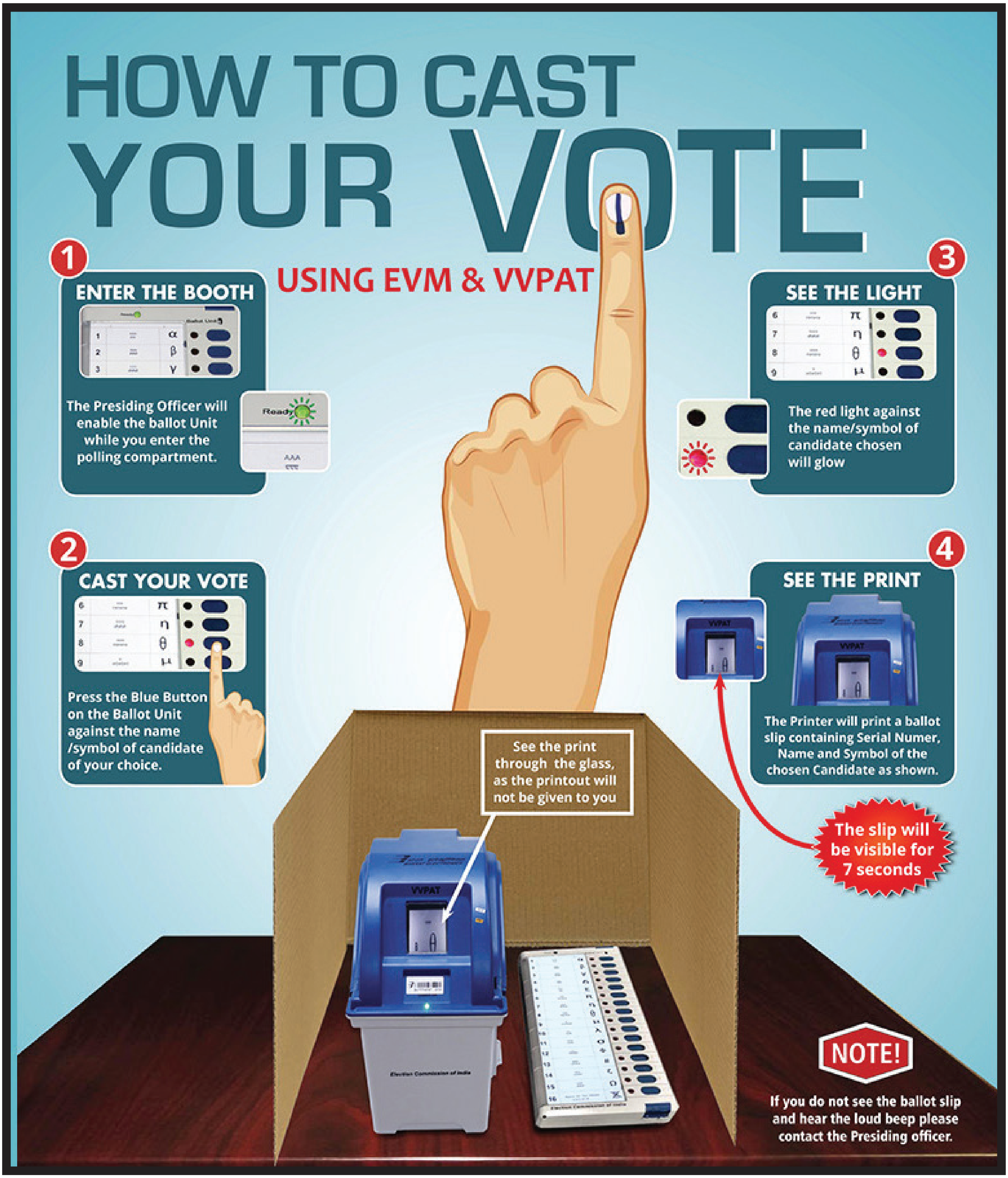

- भारत में होने वाले चुनावों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वीवीपीएटी की पर्चियों के नमूने का सत्यापन ही पर्याप्त होना चाहिए।
- वीवीपीएटी प्रणाली भारत की चुनावी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता ,

सटीकता, पारदर्शिता और जन विश्वास को बढाता है।

- भारत की चुनावी प्रक्रिया में इसकी चुनौतियों और सीमाओं का समाधान करने के लिए इसमें निरंतर सुधार और नवाचार की भी आवश्यकता है।
- ईसीआई को प्रत्येक चुनाव से पहले और बाद में वीवीपीएटी मशीनों का पर्याप्त परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, अंशांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करना चाहिए और किसी भी दोषपूर्ण या दोषपूर्ण मशीनों को तुरंत बदलना या मरम्मत करना चाहिए।
- ईसीआई को वीवीपैट मशीनों के उपयोग और संचालन पर मतदान अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहिए और किसी भी प्रश्न या शिकायत का प्रभावी ढंग से समाधान करना चाहिए।
- ईसीआई को ईवीएम वोटों के साथ-साथ वीवीपैट पर्चियों की रैंडम सैंपलिंग और गिनती बढ़ानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए मतदान केंद्रों के चयन के लिए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए।
- ईसीआई को ईवीएम और वीवीपीएटी परिणामों के बीच किसी भी बेमेल या विसंगति के मामले में वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए एक मजबूत और सुरक्षित प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए और प्रक्रिया का उचित दस्तावेजीकरण और सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।
- भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए ईसीआई को अन्य तकनीकी समाधान या एंड-टू-एंड सत्यापन योग्य वोटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन-आधारित वोटिंग सिस्टम या ऑप्टिकल स्कैनर के साथ पेपर – आधारित वोटिंग जैसे विकल्प भी तलाशने चाहिए जो भारत में होने वाले आम चुनावों में वीवीपीएटी प्रणाली को प्रतिस्थापित कर सकें।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनाव सुधार की दिशा में वीवीपीएटी पर्चियों के पुनर्गणना से मत – सत्यापन की मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा पहली बार 2010 में प्रस्तावित किया गया था।
2. यह चुनाव में होने वाले किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकता है।
3. भारत में वीवीपीएटी मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसी-आईएल) द्वारा बनाया गया है ।
4. इससे चुनाव में मतों से संबंधित किसी भी विवाद या संदेह के मामले में वोटों की क्रॉस-चेकिंग की जा सकती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 2, 3 और 4

B. केवल 1, 2 और 3

C. केवल 1, 3 और 4

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की मुख्य चुनौतियाँ को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि वीवीपीएटी पर्चियों के पुनर्गणना से मत – सत्यापन की मांग भारत में चुनावी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने में किस तरह सहायक है ?

इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष और अमेरिका की भूमिका

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरानी दूतावास के एक उपभवन पर हमला हुआ है।
- यह हमला उस बहुआयामी संघर्ष, जो 7 अक्टूबर, 2023 से पूरे पश्चिम एशिया में फैल रहा है, का एक अग्रगामी कदम है।
- ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी बताया है।
- इस हमले में कुद्स फोर्स के सीरिया अभियान के प्रभारी शीर्ष कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी सहित 13 ईरानी मारे गए हैं।
- इजराइल ने न तो इन दावों की पुष्टि की है और न ही इस बात से इनकार किया है कि ऐसे हमलों के पीछे उसका हाथ था। लेकिन यह एक खुला रहस्य है कि वह इस पूरे इलाके में ईरानी सेना और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रहा है।
- 25 दिसंबर 2023 को सीरिया में एक संदिग्ध इजरायली हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के वरिष्ठ सलाहकार रजी मौसवी की मौत हो गई थी।
- 1 अप्रैल 2024 का हमला इजरायल के पिछले हमलों से अलग इसलिए है क्योंकि इस हमले में एक दूतावास परिसर को निशाना बनाया गया है ।
- अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी दूतावास और अन्य राजनयिक परिसरों को संरक्षित दर्जा प्राप्त होता है, जिसपर किसी भी परिस्थिति में हमला नहीं किया जा सकता है ।
- दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी, राजनयिक परिसरों पर शत्रु शक्तियों द्वारा हमला नहीं किया गया था।
- मई 1999 में बेलग्रेड में स्थित चीनी दूतावास पर जब अमेरिका द्वारा बमबारी की गई थी, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसे एक दुर्घटना बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी।

- दमिश्क में, हुए हमले का मकसद आईआरजीसी के एक समूह को मारना था। ईरान में कई लोग इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखते हैं।

इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण :

- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण येरुशलमनामक शहर है ।
- येरुशलम एक ऐसा शहर है जो इज़राइल और वेस्ट बैंक के बीच की सीमा पर फैला हुआ है।
- यह यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है।
- अतः इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस येरुशलम शहर पर अपना कब्जा करना चाहता है।
- इस येरुशलम शहर को ही इज़राइल – फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण माना जाता है।
- इसलिए इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान भी वह दोनों देश ही इसे ही बनाना चाहते हैं।

फ़िलिस्तीन क्या चाहता है ?

- फ़िलिस्तीन चाहता है कि इजरायल सन 1967 से पहले येरुशलम शहर की सीमाओं से हट जाए और वेस्ट बैंक और गाजा में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना किया जाए।
- इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष में शांति वार्ता में आने से पहले इजराइल को येरुशलम शहर की बस्तियों में होने वाले सभी मानवीय विस्तार को रोक देना चाहिए और फिर इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित शांति वार्ता में शामिल होना चाहिए।
- फ़िलिस्तीन यह भी चाहता है कि सन 1948 में अपने घर खो चुके फ़िलिस्तीनी शरणार्थी को वापस अपने घर फ़िलिस्तीन आने की स्वतंत्रता मिल सके।
- फ़िलिस्तीन पूर्वी येरुशलम को स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य की राजधानी बनाना चाहता है।

इजराइल क्या चाहता है ?

- इजराइल येरुशलम पर संप्रभुता चाहता है।
- इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में वैश्विक स्तर मान्यता चाहता है ।
- इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो धार्मिक समुदाय के लिए बनाया गया है।
- फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी का अधिकार केवल फ़िलिस्तीन को है, इसराइल को नहीं है।

इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष में अमेरिका को आने का मुख्य कारण :

- संयुक्त राज्य अमेरिका में इज़राइल से अधिक यहूदी हैं। यहूदियों का अमेरिकी मीडिया और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण नियंत्रण है।
- इज़राइल को हर साल लगभग 3 अरब डॉलर की प्रत्यक्ष विदेशी सहायता मिलती है, जो वर्तमान समय में अमेरिका के पूरे विदेशी सहायता बजट का लगभग पांचवां हिस्सा होता है।
- इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में अमेरिका मध्यस्थ के तौर पर अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन मध्यस्थ के रूप में इसकी विश्वसनीयता पर फ़िलिस्तीनियों द्वारा लंबे समय से सवाल उठाया ज रहा है ।

- इज़राइल की आलोचना करने वाले अधिकांश सुरक्षा परिषद निर्णयों को वीटो करने के लिए ओआईसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) और अन्य अरब संगठनों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना भी की गई है ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए किसी भी फ़िलिस्तीनी प्रयास को वीटो करने के अपने इरादे के बारे में मुखर रहा है। जिसके कारण फिलिस्तीन को वर्तमान समय में भी संयुक्त राष्ट्र में **'गैर – सदस्य पर्यवेक्षक'** का दर्जा' से ही संतुष्ट होना पड़ा है।
- ओबामा प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका-इज़राइल संबंधों में गिरावट देखी गई थी ।
- वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते से इज़राइल चिढ़ गया था और उसने इस समझौते के लिए अमेरिका की आलोचना भी की थी ।
- ओबामा प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव पारित करने की अनुमति दी जिसने कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायल की बढ़ती बस्तियों को अवैध घोषित कर दिया।

- उस मतदान तक, ओबामा प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके इज़राइल की आलोचना करने वाले प्रस्तावों को अवरुद्ध कर दिया था।
- ट्रम्प के नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन के साथ, जो इज़राइल के प्रति अधिक झुकाव रखते थे, वेस्ट बैंक और गाजा में इज़राइल द्वारा अवैध बस्तियों में वृद्धि देखी गई थी।

इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष का निष्कर्ष या समाधान की राह :

- वर्तमान समय में जारी इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष का सबसे सटीक समाधान **" दो – राज्य समाधान "** है जो गाजा और पश्चिमी तट के अधिकांश हिस्से में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा, और बाकी ज़मीन इसराइल के लिए छोड़ देगा।
- इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष में दो-राज्य योजना सैद्धांतिक रूप से तो स्पष्ट है, लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, इस पर अभी भी दोनों पक्षों में सहमती नहीं बन पाई हैं।
- एक राज्य समाधान (केवल फ़िलिस्तीन या केवल इज़राइल) एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है।
- शांति के लिए रोड मैप: यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और रूस ने 2003 में एक रोड मैप जारी किया था, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक स्पष्ट समय सारिणी की रूपरेखा दी गई थी।
- फ़िलिस्तीनी समाज का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है जिसके माध्यम से नया विश्वसनीय नेतृत्व उभर सके।
- अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जल्द ही दुनिया के सबसे कठिन संघर्ष का उचित और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान ढूंढे।
- 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले से पहले भी पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच छाया युद्ध चल रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद, इजराइल ने दोतरफा हमला शुरू कर दिया है।
- वह एक तरफ जहाँ 2.3 मिलियन लोगों वाले छोटे से फिलिस्तीनी इलाके गाजा पर पूर्ण आक्रमण कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान व उसके मिलिशिया नेटवर्क के खिलाफ सीरिया एवं लेबनान में दर्जनों हवाई हमले किया है।
- इजराइल ईरान को इस इलाके के सभी गैर-राजकीय मिलिशिया, चाहे वह हमास हो, हिजबुल्लाह, हौथिस या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद हो, की धुरी के रूप में देखता है और वह अपने निकट पड़ोस में उनके प्रभाव को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

- गाजा में इजरायल का युद्ध योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है।
- पिछले छह महीने से जारी इस इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष में गाजा को एक खुले कब्रिस्तान में बदल दिया है, जिसमें 33,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन मारे गए लोगों में से अधिकांश महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
- इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू,के निर्देश पर 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, अब इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ही संघर्ष विराम करने तथा अपना इस्तीफा देने के लिए उनके ही देश के भीतर और विदेश में दबाव बढ़ रहा है।
- इजराइल और ईरान के बीच एक खुला युद्ध, जो अमेरिका को भी इसमें घसीट सकता है, इस पूरे इलाके के लिए एक सुरक्षा संबंधी आपदा और व्यापक पैमाने पर दुनिया के लिए एक आर्थिक दुःस्वप्न साबित होगा।
- अतः ईरान को इजरायल द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसना चाहिए।
- उसे रणनीतिक तौर पर धैर्य एवं संयम दिखाना चाहिए और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक एवं सैन्य समर्थक अमेरिका को अपने निकटतम सहयोगी को फिर से दुष्टता भरे कार्य करने से रोकना चाहिए।
- वर्तमान समय में अमेरिका को इजराइल पर लगाम लगानी होगी और ईरान को भी इस युद्ध में संयम रखना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण येरुशलम नामक शहर है।
2. येरुशलम यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है।
3. येरुशलम इज़राइल और वेस्ट बैंक के बीच की सीमा पर स्थित है।
4. इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान दो – राज्य सिद्धांत हो सकता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 3 और 4

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि इस संघर्ष में अमेरिका की क्या भूमिका है तथा वर्तमान में जारी इस संघर्ष का स्थायी समाधान क्या हो सकता है ?